International Journal of Scientific Research in Science and Technology
Available online at : www.ijsrst.com
Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
doi : https://doi.org/10.32628/IJSRST

समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक तथा शैक्षिक उत्थान के उपाय

डॉ० देवेन्द्र प्रसाद
सहायक प्राध्यापक, बी0एस0के0 कॉलेज, मैथन, धनबाद,(झारखण्ड)

हमारे संविधान में राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धान्तों को पालन करने की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। इसके अनुच्छेद 46 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों को विशेष सावधानी से बढ़ावा देगा। इस प्रकार राज्य पिछड़े वर्गों के अर्थ संबंधी तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करेगा तथा लम्बी अवधि में समाज को समतामय बनाने का कर्तव्य पूरा करेगा। कमजोर वर्ग में शामिल हैं–अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की परिभाषा आरंभ में निर्धारित कर दी गई थी तथा उनके उत्थान के लिए सतत् प्रयास काफी लम्बे अरसे से किया जाता रहा है, लेकिन पिछड़े वर्ग की न तो कोई स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की गई न उनके उत्थान के लिए कोई सार्थक प्रयास किए गए।

सौभाग्य से 1980 में श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार का गठन होते ही इस दिशा में प्रशंसनीय कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, आयोग के अंतरिम प्रतिवेदन पर पिछड़ा वर्ग की स्थापना एवं पृथक पिछड़ा वर्ग मंत्रालय की स्थापना, 1982–83 में पिछड़े वर्ग की सूची को मान्यता प्रदान करना तथा हायर सेकेण्डरी स्तर तक पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था आदि ऐसे कतिपय कार्य है जिनसे यह आभास होता है कि मध्यप्रदेश सरकार वास्तव में पिछड़े वर्गों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रति सजग है।

आयोग के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार पिछड़े वर्ग के लोग अशिक्षा तथा गरीबी के गहन अंधकार में पड़े हुये हैं। पुरानी दकियानूसी, पूर्व मान्यतायें, ऊंच–नीच, भेदभाव पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के शिकार हैं। किस प्रकार उनका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक शोषण होता है ?

पिछड़े वर्ग की जनता में अधिकांशतः खेती पर आधारित काश्तकार, दस्तकार, शिल्पकार, पशुपालक तथा समाज की सेवा करने वाले लोग शामिल हैं। विज्ञान की प्रगति तथा कल–कारखानों की स्थापना से ग्रामों के दस्तकार तथा शिल्पकार प्रायः बेकार हो गये हैं, क्योंकि इनके पैतृक पेशों को कल–कारखानों ने छीन लिया है। जिन चीजों को वे अपने कला–कौशल से बनाते थे, उन्हें अब मशीनें बनाने लगी है और वे पूर्णतया अकुशल मजदूर बन गये हैं। कृषि पर उनकी अधिक आश्रितता बढ़ गयी है, साथ ही उनकी बेरोजगारी बढ़ी है। तात्पर्य यह है कि सदियों से चली आ रही कठोर एवं जटिल

सामाजिक व्यवस्था के शिकार पिछड़े वर्ग के इन लोगों को विज्ञान की प्रगति तथा कल–कारखानों की स्थापना ने बेरोजगार बनाकर आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है। अब उनकी समस्यायें और बढ़ गयी है अतः उनकी समस्याओं को हल करने हेतु आयोग निम्न सुझाव प्रस्तुत करता हैः–

(A) शैक्षिक विकास.

(B) आर्थिक विकास.

(C) आवास समस्या तथा स्वास्थ्य.

(D) सामाजिक न्याय.

(E) राजनैतिक न्याय.

(A) शैक्षिक विकासः– आयोग पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु शिक्षा के प्रसार और उसे निरन्तर बढ़ाने के कार्य को अत्याधिक महत्व देता है। अतः आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट के अध्याय 1 में पिछड़े वर्गों के शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु अपनी विस्तृत संस्तुतियां की है। आयोग ने अपने दौरे के समय पिछड़े वर्ग के लोगों में अशिक्षा का जब कारण जानना चाहा तो अधिकांश ने अशिक्षा का कारण गरीबी या आर्थिक तंगी बताया है। किसी ने स्कूलों का उनके निवास से दूर होना, किसी ने छात्रावासों में असुविधा का अनुभव तथा उच्च शिक्षा स्तर पर प्रवेश न मिलने के कारणों को प्रमुख बतलाया है। किसी ने शासन की पिछड़े वर्ग को सहयोग न मिलने की बात बताई है तो किसी ने शिक्षित बेरोजगारी को। अतः शिक्षा के प्रति उनमें कोई उत्साह नहीं रहता है।

अतः यह जरूरी है कि संविधान के अनुच्छेद 46 के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कमजोर वर्ग के शिक्षा विषयक हित को विशेष ध्यान देकर बढ़ावा दे। कमजोर वर्ग में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया जाये ताकि इस वर्ग के अभिभावकों में अपने बच्चों को शिक्षित करने की अभिरुचि पैदा हो। क्योंकि यहाँ शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ है। वे इसके लाभों से परिचित नहीं है।

सौभाग्य से मध्यप्रदेश सरकार ने आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर पिछड़े वर्ग की सूची को मान्यता देकर उनके छात्रों को 2 अक्टूबर 1982 से हायर सेकेण्डरी स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान कर दी है। अतः आयोग इस वर्ग के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा को उच्च शिक्षा तक बढ़ाने की अनुशंसा करता है, साथ ही आयोग के ध्यान में यह बात भी आई है कि छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु कमजोर वर्ग के छात्रों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। उनकी आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण हेतु प्रक्रिया हरिजन आदिवासियों के छात्रों के समान सरल बनाने की आवश्यकता है। साथ ही आयोग ने अपने अंतरिम रिपोर्ट के अध्याय 11 में जो अनुशंसा की थी, उन्हें पुनः दोहराता हैः–

(a) प्राथमिक शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक

(1) पिछड़े वर्ग की आबादी में नर्सरी व मांटेसरी स्कूल खोलकर निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हो। उन्हें पुस्तकें कॉपी, पेंसिल तथा बच्चों को दो सेट स्कूली ड्रेस, एवं दोपहर का भोजन भी गरीब बच्चों को मुफ्त दिया जायें।

(2) कमजोर वर्ग के छात्रों को स्कूल के समय के बाद ट्योटोरियल क्लास की व्यवस्था की जायें।

(3) छात्रावास की व्यवस्था की जाये। जहाँ निर्धन छात्रों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकों व लेखन सामग्री की प्रति वर्ष व्यवस्था की जायें।

(b) व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु पिछड़े वर्ग को आरक्षण

(1) व्यवसायिक तकनीकी तथा उच्च शिक्षा में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु 35ःप्रतिशत स्थान आरक्षित किए जायें। इसमें एम.बी.बी.एस., बी.डी.एस., बी.ए. एम.एस. कृषि, इंजीनियरिंग, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा संस्थायों की सभी संकाय शामिल समझी जायें।

(2) पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाये और पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जायें तथा उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायें।

(3) कालेज व छात्रावासों में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जायें तथा उनका निःशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था की जायें।

(4) ग्रामीण अंचलों में अधिक से अधिक महाविद्यालय खोले जायें एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग, आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की जायें।

(ख) आर्थिक विकास – पिछड़े वर्ग के लोगों को व्यवसाय के आधार को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है:–

(1) कृषक, (2) पशुपालक, (3) दस्तकार व शिल्पकार, (4) सेवा कार्य करने वाले, (5) मछली पालक, (6) मजदूरी तथा अन्य।

(1) कृषि करने वाले :– पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों में अधिकांश जनसंख्या खेती करने वाले लोगों की है। लेकिन बहुतायत लोगों के पास सीमित खेती है या बटाईदार या दूसरों की जमीन पर खेती करते है, जो अलाभकर जोत की सीमा में आती है। पिछड़े वर्ग के लोग अशिक्षित किसान हैं, जो परम्परागत खेती, मानसून की अनिश्चितता, बाढ़, सूखा, पाला आदि इनकी कठिनाईयों को बढ़ा देती है। अशिक्षित होने से इन्हें सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों तथा बाजार का लाभ नही मिल पाता हैं।

शाक–सब्जी तथा बागवानी आदि करने वाली काछी, कोयरी माली, मरार, आदि जाति के लोग सीमान्त तथा अलाभकर जोत वाले किसान है। इनकी भूमि मुख्यतः ग्रामों व शहरों के किनारे थी जिसमें वे शाक–सब्जी उपजाकर तथा बेचकर अपनी जीविका चलाते है। जनसंख्या की वृद्धि तथा नगरों के विकास के कारण इनकी भूमि विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित कर ली गई है। अब यह केवल श्रमिक या बटाईदार बन गये है और खेती न रह पाने के कारण इनकी हालत खराब हो गयी है। दूसरी और इन्हें अपनी मेहनत का उचित प्रतिफल भी नहीं मिलता है क्योंकि मंडी में आढ़तियों व दलाल इनका माल सस्ते में खरीदते है। केवल बिचौलिये अधिक लाभ कमाते है। इस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से यह स्थिति हानिकारक है। साथ ही उत्तम खाद, बीज, सिंचाई के साधन नये किस्म के औजार, सुविधाजनक ऋण व बाजार की सुविधा उपलब्ध कराई जाय तथा विचौलियों व दलालों से रक्षा की जायें।

(2) पशुपालकः– गाय, भैंस, भेड़ बकरी, आदि पशुपालक अपनी जीविका कमाने वाली अहीर, गड़रिया, गूर्जर आदि जातियाँ हैं। पहले खूब चारागाह थे तथा जंगल भी सुरक्षित नहीं थे। अतः पशुपालन कर, दूध–दही, तथा घी बेचकर वे अपनी जीविका चला लेते थे, लेकिन कुटीर उद्योग धंधों के विकास से कृषि पर अश्रितता बढ़ गयी है। आबादी बढ़ने तथा कृषि पर आश्रितता बढ़ने से चरनोई तथा परती की जमीन तोड़ ली गई, जंगल सुरक्षित हो गये। अतः अब भेड़ बकरी, गाय, भैस आदि पालकर जीविका

चलाना मुश्किल हो गया है। इन समाजों के प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपनी जीविका के साधनों के कम हो जाने तथा स्थिति को बेहतर बनाने हेतु ज्ञापन दिए है। आयोग यह महसूस करता है कि गाँवों में कृषि के साथ–साथ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जायें।

सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ गठित की जायें, तथा उन्हें शासन संरक्षण सहयोग व प्रोत्साहन प्रदान करें क्योंकि दूध की मांग शहरों व नगरों में अधिक है और उसकी पूर्ति दूध उत्पादकों की सहकारी समितियां बनाकर की जा सकती हैं जिससे वे सड़क के किनारे से दूध एकत्रित कर नगरों में पहुंचा सके तथा लाभ कमा सकें। यद्यपि भेड़–बकरीपालन की काफी अच्छी सम्भावनायें है अतः अच्छी नस्ल की भेड़, बकरीपालन को प्रोत्साहन देकर इनके ऊन तथा मांस विक्रय से स्थिति काफी सुधर सकती है। आस्ट्रेलिया जैसे देश में अच्छी नस्ल की भेड़ पालन से यह उद्योग काफी लाभकारी बन गया है।

इसी तरह मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देकर तथा गरीब वर्ग की आमदनी में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी की जा सकती है। यद्यपि भारतीय समाज में मुर्गी पालन हीन व्यवसाय समझा जाता है लेकिन गरीब समाज की सहकारी समितियों के माध्यम से इसे एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकता है।

(3) दस्तकार व शिल्पकार :– भारतीय समाज व्यवस्था में यह पेशा, जाति के आधार पर निश्चित थे। लुहार, बढ़ई, सुनार, कुम्हार, तेली, काष्ट, कोष्टी, छीपा, छीपी, दर्जी, कड़ेरे बुनकर, लखेरा, कसेरा, तमेरा, ठकेरा, रंगरेज, जुलाहा, आदि जातियाँ दस्तकार तथा शिल्पकार के रूप में जानी जाती हैं तथा वे अपने जातीय धन्धों को अपनाकर के अपना जीवन यापन करती आ रही है। विज्ञान की प्रगति तथा कल कारखानों की स्थापना व मशीनीकरण ने इनके धन्धों को नष्ट कर दिया है। इनके धन्धों के विनाश से ये जातियाँ बेरोजगार हो गयी है तथा इनकी आश्रितता कृषि पर बढ़ी है या अकुशल श्रमिक बन गये है। लिहाजा ये लोग शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं क्योंकि मिल कारखानों में थोक उत्पादित माल अच्छा व सस्ता होता है। वही शिल्पकार व दस्तकारी के हाथ का बना सामान महंगा होता है। पूँजी व प्रचार की सुविधा न होने के कारण ग्रामीण उद्योग धन्धे नष्ट हो गये है। कहीं–कही शासकीय नियंत्रित कच्चा माल व लाइसेंस तथा टैक्स व्यवस्था आदि भी परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है।

अतः आयोग की यह राय है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत सुधारने तथा इनके ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग धन्धों के विकास के लिए सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की तरह अलग से पिछड़ा वर्ग उत्थान निगम की स्थापना की जाए, जो पिछड़े वर्ग के उत्थान के काम को अपने हाथ में ले। उन्हे कच्चा माल पूँजी तथा ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करे, उनके द्वारा उत्पादित माल की क्रय करके विक्रय की व्यवस्था करें तथा मिल व कारखानों की हानिकारक प्रतियोगिता से उनकी रक्षा करें। शासन मृतप्रायः कुटीर उद्योग धन्धो को पुनर्जीवित कर तथा पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन आदि को बढ़ावा देकर रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर सकती है। शासन एकीकृत विकास योजना एग्रो इन्डस्ट्रीज तथा लघु उद्योग निगम को भी पिछड़े वर्ग के हित में अधिक सक्रिय कर सकती है।

(4) सेवा कार्य करने वाले:–सेवा कार्य में लगे पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत अत्यन्त दयनीय है। इन जातियों में नाई, धोबी, कहार, ढीमर, भोई, मल्लाह आदि आते है। नाई जाति का पुश्तैनी धन्धा बाल बनाना तथा सेवा करना रहा है तथा धोबी जाति का धन्धा कपड़े धोना रहा है। अतः आज कल इन जातियों के पढ़े–लिखे लड़के इस पेशा को अपनाने से कतराते हैं फिर भी अधिकांश लोग अपने जातीय धन्धे में लगे है। हिप्पी सभ्यता के विकास तथा ब्लेड व रेजर सिस्टम ने इनके धन्धे को चोट पहुंचाई है। बड़े–बड़े नगरों में पैसे वाले लोगो द्वारा बड़ी–बड़ी ड्राई क्लीनिंग दुकानें खोल ली है जिससे धोबी जाति के पैतृक धन्धे पर चोट हुई है। अब धोबी उन्ही बड़ी दुकानों में मजदूर है जहाँ मेहनत करके कपड़े धोता है तथा उसका लाभ पैसा वाला कमाता है।

अतः आयोग की राय है कि इन धन्धो में लगे इस जाति के लोगों को पृथक धोबीखाना बनवायें जायें। उन्हें लांड्रियाँ चलाने हेतु ऋण व अनुदान दिया जायें। दक्षिण भारत की तरह नाई समाज के बेरोजगार व्यक्ति को जो अपना धन्धा करना चाहे निःशुल्क सेविंग की दुकान लगाने का सामान दिया जायें जिससे वे अपनी जीविका चलाने में सफल हो सके तथा उन्हें अपना निजी उद्यम मिले।

आयोग ने प्रदेश के भोई कहार, ढीमर, मल्लाह, आदि जातियों की हालत अत्यन्त खराब पाई है। उनका पैत्रिक धन्धा मछली मारना, नदीघाटी पर नाव चलाना, दूसरो के घरो में पानी भरना व पालकी ढोना तथा घरों में बर्तन साफ करने आदि का काम करना, कमल गट्टा आदि उपजाना रहा है। नगरो तथा कस्बों में नल लग जाने, नदी घाट पर पुलों के बन जाने, बड़े जलाशयों व तालाबों को मछली पकड़ने हेतु नीलामी से ठेके पर देने से पैसे वालों द्वारा ठेका लिया जाता हैं, इससे यह जाति पूरी की पूरी बेरोजगार बन गई है। पहले कहार पालकी आदि ढोते थे लेकिन अब पालकी का स्थान ”कारो–जीपों ने ले लिया है। इस प्रकार इस जाति का जातीय धन्धा समाप्त हो गया है। आज बड़े जलाशयों व घाटों की नीलामी पैसे वाले लोग ठेकों से लेते है जो इस जाति के लोगों से नाव चलवाने या मछली पकड़वाने का काम मजदूरी पर करवाते है तथा स्वयं मुनाफा कमाते है। इसी कारण इस जाति की हालत दयनीय है तथा घास–फूस के कच्चे घरो में व गंदगी पूर्ण मुहल्लों में निवास करते है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी खराब प्रभाव पड़ता है।

मछली उद्योग– देश में मछली पालन की अच्छी सम्भावनायें है तथा मीठे पानी के मछली की मांग देश के कई भागों में काफी अधिक है। अतः मत्य पालन विभाग के माध्यम से इस जाति को जीविका का साधन दिखाया जा सकता है, जो कि इनका पैतृक व्यवसाय रहा है, तथा मछलीपालन को विकसित किया जा सकता है। अतः नदी तालाबों व जलाशयों का प्रदेश शासन नीलामी द्वारा पैसे वाले ठेकेदारों को न देकर सहकारिता के माध्यम से इस जाति की सहकारी समितियों को औसत लगान पर पट्टे दे सकती है, जिससे वे अपनी कला से इस व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकते है तथा बाहर प्रांतों में भेजकर मुनाफा कमा सकते है। इनके त्याग से अच्छी किस्म की मछली की पैदावार बढ़ा कर इस उद्योग को बढ़ाया जा सकता है तथा इस गरीब जाति का भी भला हो सकता है। नाव घाटों को भी ठेके से देने के स्थान पर मल्लाह की सहकारी समिति बनाकर उन्हें घाट पट्टे पर देने की आयोग सिफारिश करता है तथा मछली पालन से सम्बन्धित उद्योग जैसे जाल बुनना आदि का उत्पादन इन्ही लोगों की सहकारी समिति के माध्यम से करने की सिफारिश करता है।

(6) मजदूर तथा अन्य :– ग्रामीण कुटीर उद्योग धन्धो के विनाश के बाद तथा जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि पर निर्भरता बढ़ी। अतः पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा समुदाय अपना श्रम बेचने यानी मजदूरी पर आश्रित हो गया है। शहरों में मजदूरी की दरें ठीक है तथा कल कारखानों व प्रतिष्ठानों में मजदूरी अच्छी मिलती है, लेकिन ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में मजदूरी बहुत कम दी जाती है। वे बहुधा भूमिपतियों के शोषण के शिकार रहते हैं। चूंकि मिल या कारखाने का मजदूर संगठित रहता है अतः अपनी बात को मालिक से मनवा लेता है, लेकिन ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में मजदूरी कम दी जाती है तथा श्रम अधिक लिया जाता है।

आयोग यह सिफारिश करता है कि शासन ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करे कीमतों की बढ़ोत्तरी के साथ–साथ समयावधि में इनकी मजदूरी की दरें बढ़ाये। कृषि में लगे मजदूर को प्रायः 6 माह काम मिलता है। बाकी समय वह बेकार रहता है। अतः ग्रामीण अंचल में कुटीर उद्योग तथा गृह उद्योग स्थापित किए जायें, पशुपालन व डेयरी का काम बढ़ाया जाये जिससे वे फालतू समय में भी अपनी जीविका निर्वाह हेतु कमा सके। इस विषय में सहकारिता के लाभों से परिचय कराकर सहकारी अन्दोलन के जरिये भी उनकी रक्षा की.जाय। ग्रामों में आवागमन के साधन बढ़ाने से भी कच्चे माल की निकासी तथा बिक्री के लिए रास्ते खुलेंगे तथा आमदनी के साधनों की बढ़ोत्तरी होगी।

(ग) आवास समस्या तथा स्वास्थः– पिछड़े वर्ग की अधिकांश जनता ग्रामों में कच्चे घरों या झोपड़ियों में निवास करती है, जिनमें उपर्युक्त रोशनी व धूप का प्रबंध नहीं होता है। उनके निवास के मुहल्लों में गंदगी रहती है तथा नाली व सड़कों की उचित व्यवस्था नहीं होती है। ग्रामों में पिछड़े वर्ग के गरीब एक ही कमरे में पशु बांधते है तथा स्वयं सोते हुये पाया है जिसमें दुर्गन्ध रहती है तथा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

अतः आयोग उनके गृह निर्माण हेतु सहयोग देने के लिए शासन से सिफ़ारिश करता है तथा ग्रामीण आवास निगम द्वारा निर्मित मकानों को पिछड़े वर्ग के लिए भी कोटा निर्धारित करने की सिफारिश करता है। आयोग चाहता है कि पिछड़े वर्ग को ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य पूर्ण आवासों के लिए एक प्रदेश व्यापी कार्यक्रम बनाया जायें, जो इन्हे शासन द्वारा भवन निर्माण सामग्री, ऋण तथा अनुदान की सुविधाजनक कीमत पर या निःशुल्क मकान बनाने हेतु प्लाट दिए जायें। ग्रामों में स्वास्थ्य औषधियों की मदद, पीने के पानी की व्यवस्था, नाली आदि की व्यवस्था की जायें।

(घ) सामाजिक न्यायः– हमारे देश के लोगों को सामाजिक न्याय देने की बात संविधान के संकल्प में ही इंगित कर दी गयी है। गरीबी तथा पुरातन काल से चली आ रही भेदभाव पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण पिछड़े वर्ग के कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय का शिकार होना पड़ता है। नगरों में जाति प्रथा की कठोरता कम हुई है तथा वहां अब बराबरी से उठने–बैठने में व खान–पान में भी अधिक कठोरता नहीं है लेकिन ग्रामीण अंचल में अब भी वही कठोरता निद्यमान है। अतः ग्रामीण अंचल में भेदभाव व सामाजिक अन्याय समाप्त हो इसके लिए प्रचार अभियान मीटिंग व सभाओं द्वारा रेडियो तथा सिनेमा द्वारा तथा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से किया जाना चाहिए।

सौभाग्य से वर्तमान शासन ने सामाजिक अन्याय के लिए जो कि हरिजन, आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के हितार्थ है एक आयोग का गठन किया है, जो इन वर्गों के सामाजिक अन्याय..की

शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही करेगा। इसके अच्छे परिणाम सामने आए तथा पिछड़ा वर्ग सामाजिक अन्याय व अत्याचार से मुक्ति पाये ऐसी आयोग की कामना है।

(ङ) राजनैतिक न्यायः— प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा, विधानसभा तथा जिला व ब्लाक स्तर हर प्रकार के प्रशासन में सब वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व अवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। आयोग की यह स्पष्ट धारणा है कि पिछड़े वर्गों का शासन तथा प्रशासन में भागीदारी के बगैर इनका सामाजिक अन्याय समाप्त नहीं होगा न इनकी शिक्षा सम्बन्धी स्थिती बेहतर होगी और न तब तक इनका आर्थिक शोषण समाप्त होगा। अतः पिछड़े वर्गों को सामाजिक आर्थिक न्याय मिले उनकी दशा बेहतर बने तथा वे भी मानवीय गरिमा को प्राप्त कर सकते इसके लिये उनको सत्ता तथा प्रशासन में भागीदारी आवश्यक एवं अनिवार्य है।

आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से सन् 1952 से 1987 तक के समस्त लोकसभा सदस्यों तथा विधानसभा सदस्यों की जानकारी मांगी है। कतिपय जिला निर्वाचन अधिकारियों ने लोकसभा सदस्यों तथा विधानसभा सदस्यों की सूची तो दे दी है, लेकिन उनकी जाति नहीं बतलाई है। आयोग ने स्वयं प्रयास करके इस बाबत जानकारी एकत्र की है जो इस प्रतिवेदन के भाग दो में उल्लेखित है, जिसके अनुसार पिछड़े वर्ग का राजनैतिक प्रतिनिधित्व लोधी, अहीर, गुर्जर, तेली, कुर्मी, कलार आदि कतिपय पिछड़े वर्ग के जातियों का छोड़कर अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व शून्य प्रायः रहा है।

सारांश में शासन, प्रशासन तथा राजनैतिक जीवन आदि सभी जगहों पर पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व प्रायः शून्य है जिसे दूर कर उन्हें भी राष्ट्रीयधारा में भागीदार बनाकर तथा प्रतिनिधित्व देकर सामाजवादी समाज की रचना किया जा सकता है।

संदर्भ—ग्रंथ सूचीः—

1. चौधरी, गौरव (2018): ''कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए संवैधानिक उपबंध'', जर्नल ऑफ एडवांसेस एंड स्कॉलर्ली रिसर्चेज इन अलायड एजुकेशन, खण्ड 2, अंक 9 अक्टूबर 2018. (ISSN 2230-7540)
2. अहूजा, राम (2016) : भारतीय समाज और सामाजिक असमानाएँ, जयपुर, राव पब्लिकेशन।
3. अबेंडकर, बी0आर0 (1991) : डॉ0 अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस (खंड 1—12) भारत सरकार, सामाजिस न्याय मंत्रालय।
4. सिंह, रमेश (2023) : भारतीय अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली, टाटा मैक्ग्रा—हिल एजुकेशन इंडिया।
5. नेहरू, रजनी के0 (2010) : सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, हैदराबाद, प्रकाशन सेवा।
6. लक्ष्मीकांत, एम0 (2023) : इंडियन पोलिटी, नई दिल्ली, टाटा मैक्ग्रा—हिल एजुकेशन इंडिया।
7. Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India. Annual Reports
8. https://socialjustice.gov.in

9. Planning Commission / NITI Aayog Reports – Twelfth Five Year Plan (2012–2017), Strategy for New India@75 (2018)
10. Rawat, P. C. (2000). Empowerment of SCs, STs and OBCs in India. नई दिल्ली: प्रगति प्रकाशन।
11. UNESCO & UGC Reports on Inclusive Education in India
12. Indian Journal of Social Work, Tata Institute of Social Sciences द्वारा प्रकाशित.
13. सिंह, बी0के0 (2015) : सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति, पिछड़े वर्गों की स्थिति, इलाहाबाद, लोक भारती प्रकाशन।